

मध्यप्रदेशग्रामीणसड़कविकासप्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवंग्रामीणविकासविभाग के अधीन)
पर्यावासभवन, खण्ड-2, पंचमतल, अरेराहिल्स, भोपाल

क्र. 9527/22/वि-12/ग्रासविप्रा./ई-10/22भोपाल,

दिनांक 13/07/2022

मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय में निम्नलिखित अपलेखित सामग्री विक्रय किये जाने हेतु दिनांक 27/07/22 को दोपहर 3:00 बजे तक ख्याती प्राप्त ऐजेंसियों से तीन लिफाफा पद्धति के माध्यम से मुहर बंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसमें उच्चतम दरें प्रस्तुत करने वाली ऐजेंसियों को सामग्री प्रदाय की जावेगी। उक्त कोटेशन दिनांक 27.07.22 को अपरान्ह 4:00 बजे उपस्थित कोटेशन प्रस्तुतकर्ताओं के समक्ष खोले जावेंगे:-

स.क्र	सामग्रीकानाम	मात्रा	दरप्रतिनग / प्रतिकिलो
1	कम्प्यूटर सी.पी.यू	10 नग	
2	कम्प्यूटर मॉनीटर	06 नग	
3	व्लेक एण्ड वॉइट स्कैनर	02 नग	
4	लेजर प्रिंटर व्लेक एण्ड वॉइट	04 नग	
5	लेजर प्रिंटर व्लेक एण्ड वॉइट डबल साइड	01 नग	
6	लेजर कलर प्रिंटर	01 नग	
7	इंक जेट कलर रप्रिंटर	01 नग	
8	फिगर टच अटेडेस मशीन	01 नग	
9	प्रोजेक्टर मशीन	01 नग	
10	इंटरनल हार्ड डिस्क पुरानी खराब	02 नग	
11	टेलीफोन इन्स्ट्रुमेंट	20 नग	
12	सी.डी. / डी.वी. डीराइटर	06 नग	
13	वाईफाई मॉडेम पुराना	03 नग	
14	डोंगल डाटाकार्ड	03 नग	
15	डिलिंक स्वीचर	01 नग	
16	नेटवर्कटर मीनेटर	01 नग	
17	फ्लोपी राइटर	01 नग	
18	मल्टी मॉडेम	01 नग	
19	कम्प्यूटर के छोटे स्पीकर	06 नग	
20	कम्प्यूटर SMPS	01 नग	
21	सप्लाय एडॉप्टर	07 नग	
22	कॉलर माइक	01 नग	
23	ए.सी. मशीन 1.5 टन (आउट डोर + इनडोर)	13 नग	
	विण्डोज एसी 1.5 टन	01 नग	
24	24 इंच के छत पर लगे डक कूलर के एडजस्ट फैन	02 नग	
25	साइकिल	01 नग	
26	अखबार पेपर	25कि. अनुमानित	
27	रिवाल्विंग चैयर	04 नग	
28	विजिटर चैयर	01 नग	
29	वाहन से निकला वेस्टेज सामग्री	10 किलो	
30	वाहन से निकले टायर	04 नग	
31	टॉर्च ऑरपेट	01 नग	
32	स्टेपलाइजर	04 नग	

शर्त :-

1. निविदा तीन लिफाफा पद्धति के माध्यम से कोटेशन आमंत्रित की जाती है।
अ) डी.डी. ब) टेक्निकल प्रमाण पत्र दस्तावेज स) वित्तीय दर
2. कोटेशन के साथ रू. 1000/-का डिमांड ड्राफ्ट का लिफाफा (अ) संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
3. कोटेशन प्रदाय कर्ता के पास ई-बेस्ट सामग्री क्रय करने संबंधी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा अधिसूचित/अधिकृत संबंधी प्रमाण पत्र लिफाफा (ब) होना आवश्यक है।
4. वित्तीय ऑफर का लिफाफा (स) होना आवश्यक है।
5. निर्धारित दिनांक एवं समय के बाद प्राप्त कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
6. उक्त सामग्री की प्राप्त दरें को पूर्णतः स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
7. किसी भी विवाद की स्थिति में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एव मान्य होगा।
8. विक्रय की जाने वाली सामग्री का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में आकर किया जा सकता है।
9. सामग्री जहाँ जैसी है, स्थिति में क्रेता को प्राधिकरण कार्यालय से लेकर जाना होगा।
10. तालिका में अंकित मात्राएं अनुमानित है। प्रदाय/भुगतान वास्तविक स्थिति के आधार पर किया जावेगा।



महाप्रबंधक (प्रशासन)

मध्यप्रदेशग्रामीणसड़कविकासप्राधिकरण,
भोपाल